न्यायालय जिला कलक्टर, डूंगरपुर (राज.)
(पीठासीन अधिकारी अंकित कुमार सिंह, आई.ए.एस)

प्रकरण सं0 12 / 2023
जीसीएमएस नं. 2023 / 117

दायर दिनांकः—5.12.2023
फैसल दिनांकः—21.05.2024

श्री भोपाल सिंह पुत्र श्री किशोर सिंह झाला निवासी राजपूतो का फला वरदा, तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर

—प्रार्थी

बनाम

1. प्रोजेक्ट ऑफिसर, नेशनल हाइवे 927 ए, डिवीजन PWD (VII) 2 गुलाब बाग रोड, जवाहर नगर, उदयपुर पॉवर हाउस के पास, उदयपुर (राज)
2. उपखण्ड अधिकारी (सक्षम प्राधिकारी एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी) सागवाडा
3. लेण्ड होल्डर तहसीलदार सागवाडा

—अप्रार्थी

उपस्थित— प्रार्थी की ओर से प्रकाश पटेल अधिवक्ता
विपक्षी सं. 3 की ओर से राजकीय पेरोकार

प्रार्थना पत्र बाबत भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिताअधिकार अधिनियम 2013 के तहत खातेदारी भूमि में स्थित कुए का उचित प्रतिकर दिलाने

— आदेश —

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी गांव वरदा, तहसील सागवाडा, जिला डूंगरपुर (राज.) का निवासी होकर प्रार्थी, उसके भाई जसवन्त सिंह एवं जोरावर सिंह के संयुक्त खाते की जमीन मौजा वरदा तहसील सागवाडा, जिला डूंगरपुर (राज.) में अवस्थित है जिसका खाता सं. 190 का खसरा नं. 3629 एवं 3630 होकर क्षेत्रफल 3 बीघा है। प्रार्थी एवं उसके दोनो भाईयो के सम्पूर्ण संयुक्त खातेदारी की जमीन का बंटवारा हो उक्त जमीन प्रार्थी के हिस्से में आई है जो कि प्रार्थी के स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य में होकर प्रार्थी उस पर काश्त करता आ रहा है। प्रार्थी ने अपने एकल स्वामित्व की उक्त काश्त भूमि पर जुलाई 1995 में कुंआ खुदवाने के लिए डूंगरपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक डूंगरपुर से ऋण लिया एवं 15 मीटर से अधिक गहरा कुंआ खुदवाया जिसमे पानी की आवक अच्छी होने से कुए में उपलब्ध पानी से सिचाई के लिए प्रार्थी ने विधुत विभाग से सामान्य कृषि श्रेणी का विधुत कनेक्शन लिया जिसका खाता सं. 1506 / 0335 एवं के. नं. 130522000794 है। प्रार्थी के उक्त खातेदारी जमीन पर स्थित उक्त कुंए से पानी की आवक अच्छी होने से प्रार्थी उक्त कुंए के पानी से ही खेतो की सिंचाई करता आ रहा है, एवं खेतो में पानी की सप्लाई के लिए प्रार्थी ने अपनी उक्त खातेदारी जमीन में दो हजार मीटर पाईप लाईन बिछा रखी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 927 ए के तहत प्रार्थी की उक्त खातेदारी भूमि अवाप्त की गई है जिसमें प्रार्थी का कुंआ भी है। सक्षम प्राधिकारी एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी सागवाडा, जिला डूंगरपुर (राज.) द्वारा जारी पत्रांक के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग 927 ए के तहत **भूमि अवाप्ति के लिए जारी 3 जी अवार्ड सं. 1/99** मौजा वरदा तहसील सागवाडा का आराजी नं. 3629 का रकबा 0.2427 हैक्टेयर किस्म सीरमा द्वि. (गजट नोटिकफकेशन के अनुसार अवाप्त रकबा 0.4446 हैक्टेयर) राष्ट्रीय राजमार्ग 927 ए में अवाप्त होकर खातेदार जसवन्त सिंह, जोरावर सिंह एवं प्रार्थी भोपाल सिंह पिता श्री किशोर सिंह राजपुत के नाम अवार्ड जारी हुआ किन्तु सक्षम प्राधिकारी एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी सागवाडा द्वारा उक्त जमीन पर स्थित कुंए का मुआवजा नही बनाया गया प्रार्थी द्वारा इस सम्बन्ध में आपत्ति प्रस्तुत की जाने पर जिला कलक्टर महोदय एवं सक्षम प्राधिकारी एवं भूमि अवाप्ति

जिला कलक्टर
डूंगरपुर

अधिकारी महोदय सागवाडा, जिला डूंगरपुर (राज.) के आदेश की पालना में पटवारी हल्का द्वारा मौके पर आकर पर्चा मौका बनाकर प्रार्थी के खातेदारी जमीन में स्थित निर्मित कुंए को दर्शाया गया एवं पर्चा मौका पर गवाहान के हस्ताक्षर भी करवाए थे। प्रार्थी द्वारा नियमित रूप से सक्षम प्राधिकारी एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी सागवाडा, जिला डूंगरपुर (राज.) से सम्पर्क एवं निवेदन किए जाने के उपरान्त भी प्रार्थी को उसके खातेदारी जमीन जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग 927 ए के तहत अवाप्त की गई है जिसके अवार्ड के साथ प्रार्थी की उक्त जमीन पर स्थित कुंए का मुआवजा नही बनाया गया एवं न ही नियमानुसार उचित प्रतिकर का निर्धारण किया गया है।

प्रोजेक्ट ऑफिसर, नेशनल हाइवे 927 ए. डिवीजन PWD(vii), 2 गुलाब बाग रोड, जवाहर नगर, उदयपुर पॉवर हाउस के पास, उदयपुर (राज.) द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 927 ए सडक निर्माण के तहत सडक निर्माण का कार्य जोर शोर से चल रहा है एवं उनकी कार्य गति के अनुसार प्रार्थी की अवाप्त शुदा जमीन पर स्थित उक्त कुंए को सडक निर्माण के दौरान कभी भी मिटटी से भर (पाट) दिया जाएगा। प्रार्थी की जमाबन्दी में उक्त अवाप्तशुदा जमीन पर कुंआ दर्शित नही होने से प्रार्थी के कुंए के होने बाबत् साक्ष्य की प्रमाणिकता हेतु तहसीलदार सा., सागवाडा जिला डूंगरपुर (राज.) से स्थित कुंए की विस्तृत मौका रिपोर्ट, पर्चा मौका एवं पर्चा रिपोर्ट तलब किए जाने हेतु आदेशित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। तहसीलदार सा., सागवाडा, जिला डूंगरपुर (राज.) से प्रार्थी के स्वामित्व की उक्त अवाप्तशुदा जमीन पर स्थित कुंए की विस्तृत मौका रिपोर्ट, पर्चा मौका एवं पर्चा रिपोर्ट श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत होने तक श्री प्रोजेक्ट ऑफिसर, नेशनल हाइवे 927 ए. को प्रार्थी के स्वामित्व के अवाप्तशुदा उक्त जमीन पर स्थित कुंए को भरने (पाटने) से एवं उस पर किसी प्रकार का निर्माण करने से रोकने हेतु आदेशित किया जाना न्यायहित में अति आवश्यक होगा अन्यथा प्रार्थी जो कि 71 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति होकर आर्थिक रूप से काफी कमजोर है एवं अपनी आजीविका के लिए मात्र कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर है को ऐसी अपूरणीय क्षति होगी जिसकी भरपाई किया जाना असंभव होगा। प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी के खाते की जमाबन्दी की फोटो प्रति, प्रार्थी के स्वामित्व के उक्त खसरे पर स्थित कुए का फोटो, कुंए से सिचाई के लिए विधुत विभाग से लिए गए विधुत कनेक्शन का बिल, विधुत कनेक्शन बॉक्स का फोटो, कुंए के निर्माण के लिए प्रार्थी द्वारा डूंगरपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक डूंगरपुर से लिए गए ऋण स्टेटमेन्ट एवं ऋण कार्यवाही दस्तावेज की प्रतियां, कुंए का उचित मुआवजा दिलाए जाने हेतु प्रार्थी द्वारा किए गए पत्राचार की प्रतियां, प्रार्थी के आधार कार्ड, राशनकार्ड एवं जनआधार कार्ड की फोटो प्रतियां प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कर प्रार्थी के स्वामित्व की अवाप्तशुदा जमीन जो मौजा वरदा तहसील सागवाडा के आराजी नं. 3629 का रकबा 0.2427 हैक्टेयर किस्म सीरमा द्वि. (गजट नोटिकफकेशन के अनुसार अवाप्त रकबा 0.4446 हैक्टेयर) है में जारी, अवार्ड के साथ उक्त अवाप्तशुदा जमीन में स्थित प्रार्थी के स्वामित्व के 15 मीटर से अधिक गहरे कुए एवं पाईप लाईन का नियमानुसार उचित प्रतिकर (मुआवजा राशि) दिलाए जाने का आदेश फरमावे।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। विपक्षी संख्या 2 द्वारा अवार्ड संबंधी दस्तावेजो एवं अन्य पत्रादि पेश किए गए।

प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी एवं राजकीय पेरोकर की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थी के स्वामित्व की अवाप्तशुदा जमीन जो मौजा वरदा तहसील सागवाडा के आराजी नं. 3629 का रकबा 0.2427 हैक्टेयर किस्म सीरमा द्वि. (गजट नोटिफिकेशन के अनुसार अवाप्त रकबा 0.4446 हैक्टेयर) है, में जारी, अवार्ड के साथ उक्त अवाप्तशुदा जमीन में स्थित प्रार्थी के स्वामित्व के 15 मीटर से अधिक गहरे कुए एवं पाईप लाईन का नियमानुसार उचित प्रतिकर (मुआवजा राशि) दिलाए जाने का कथन किया। विपक्षी संख्या 2 उपखण्ड अधिकारी (सक्षम प्राधिकारी एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी) सागवाडा द्वारा प्रकरण में अवार्ड से संबंधित पत्रादि पेश किए गए हैं।

जिला कलक्टर
डूंगरपुर

हमने प्रस्तुत बहस पर मनन करते हुए पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेखो का अवलोकन किया। प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात यथा प्रार्थी के खाते की जमाबन्दी की फोटो प्रति, प्रार्थी के स्वामित्व के उक्त खसरे पर स्थित कुए का फोटो, कुंए से सिचाई के लिए विद्युत विभाग से लिए गए विद्युत कनेक्शन बिल, कुंए के निर्माण हेतु डूंगरपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक डूंगरपुर से लिए गए ऋण स्टेटमेन्ट एवं मौका पर्चा दिनांक 25.02.2020, उपखण्ड अधिकारी सागवाडा का पत्र दिनांक 438–39 दिनांक 09.06.2023 के अवलोकन से भी स्पष्ट है की 3जी अवार्ड संख्या 1/99 खसरा संख्या 3629 में केवल जमीन का ही मुआवजा बनाया गया है एवं किसी भी प्रकार की संरचना/कुएं का मुआवजा नही बना है।

अतः उपरोक्त तथ्यो के क्रम में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) सागवाडा जिला डूंगरपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत तथ्यों एवं रेकार्ड के क्रम में उभयपक्षों की सुनवाई कर अवाप्त की गयी भूमि पर किसी प्रकार की संरचना/कुआ आदि होने पर प्रकरण में मुआवजा राशि का निर्धारण कर संबंधित को भुगतान बाबत नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

निर्णय आज दिनांक 21.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंकित कुमार सिंह)
जिला कलक्टर,
डूंगरपुर

जिला कलक्टर ... गरपुर (राजस्थान)